//

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–316 / 2019–20

(उत्पाद थाना कांड सं0–72–C3 / 2019)

राज्य बनाम ....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
17/9/21	**आदेश** प्रस्तुत वाद अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 528 / उ0 दिनांक 28.12.2019 के द्वारा उत्पाद थाना कांड संख्या–72–C3 / 2019, दिनांक 20.07. 2019, धारा–30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक काले रंग हीरो होण्डा मोटर साईकिल बिना नम्बर का जिसका चेचिस नं0–**MBLHA10IZB9K11529** को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया। अवर निरीक्षक उत्पाद, चलिष्णु दल के प्रतिवेदन दिनांक–20.07. 2019 के अनुसार दिनांक–20.07.2019 का प्रतिनियुक्त सैफ के सशस्त्र बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं अपने सहकर्मियों के साथ गश्ती के क्रम में समय तकरीबन 19:30 बजे अमनी से गुजर रहा था तो देखा कि दो व्यक्ति एक मोटर साईकिल से वाहन के सीट पर रखकर परिवहन कर रहे थे। जो गश्ती दल को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। मोटर साईकिल के पीछे बैठा व्यक्ति भागने में सफल रहा। जिसे काफी प्रयास के बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति को काफी प्रयास के बाद पकड़ा गया। परिवहन किये गये सामानों को जप्त कर छानबीन की गयी। जांचोपरान्त 15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के गैलन में अवैध चुलाई शराब एवं काले रंग का हीरो होण्डा प्लस मोटर साईकिल बिना नंबर का बरामद किया गया। प्राप्त प्रदर्श को अपने कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई घटना स्थल पर विधिवत पुरा किया गया। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन एवं व्यक्तियों के विरूद्ध उत्पाद थाना कांड संख्या–72–C3 / 2019 दिनांक 20.07..2019 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। चूँकि अवैध शराब / मादक द्रव्य / नशीली पदार्थ की खरीद– बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा–58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवैध रूप से शराब के खरीद–बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा	

17/9

आदेश की क्रम स0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख–सा
	कारण–पृच्छा किया गया। विपक्षी को डाक एवं दैनिक समाचार पत्र (दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर) में दिनांक–08.04.2021 को प्रकाशन द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु उसके बाबजूद विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। अतः वाद के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि विपक्षी इस वाद में नोटिस के बाबजूद उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है तथा अभियोजन के द्वारा किया गया कथन और उनके विरूद्ध गठित आरोप सत्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है। Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants** – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.** बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है। Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.-** Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act- (a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :– (क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो; (ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढ़ंग से आयात की गयी, ढ़ोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नषीली वस्तु या शराब; (ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो; (घ) उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन; (ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि काले रंग का हीरो होण्डा प्लस मोटर साईकिल बिना नम्बर का जिसका चेचिस नं0– **MBLHA10IZB9K11529** पर 15 लीटर के प्लास्टिक के गैलन में 05 लीटर अवैध चुलाई शराब के साथ बरामद किया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। उक्त वाहन एवं अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई की गयी है तथा काले रंग का हीरो होण्डा प्लस मोटर साईकिल में 5 लीटर अवैध चुलाई शराब जो व्यापारिक उदेश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। वाहन जप्ती के स्थल की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से इंगित करती है कि जप्त वाहन का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये किया जाता था। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:–

1.इस अपराध में प्रयुक्त बिना नंबर के काले रंग का हीरो होण्डा प्लस मोटर साईकिल जप्त कर थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 (संशोधित अधिनियम– 2018) की धारा–58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।

2.**जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया** को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में रखा बिना नंबर के काले रंग का हीरो होण्डा प्लस मोटर साईकिल को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।

3.**अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया** को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 543 दिनांक 22/9/21

प्रतिलिपि – उत्पाद आयुक्त, बिहार पटना / उत्पाद अधीक्षक खगड़िया / जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई को प्रेषित।

प्रतिलिपि – N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी खगड़िया।